न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 82/2024

अनवान : –

1. प्रवीण सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रविन्द्र सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. बलदेव सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. शिवराज सिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रणजीत सिंह पुत्र रिड़माल सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुनीता कंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. हरनाथ सिंह पुत्र रिड़माल सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. राजवीर सिंह पुत्र रिड़मालसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. लक्ष्मी कंवर पुत्री राजवीर सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 08/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 508/420 की कुल 13.7450 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है जो उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 5 का प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 508/420, तथा शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है जो उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 5 का प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 508/420 की कुल 13.7450 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 5 का प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 3, 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए सहमति/ ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 508/420 की कुल 13.7450 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा भूमि का तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा भूमि का तथा वादी स0 4 व प्रतिवादी सं0 4 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 82/2024

अनवान : –

1. प्रवीण सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रविन्द्र सिह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. बलदेव सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. शिवराज सिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रणजीत सिंह पुत्र रिड़माल सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुनीता कंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. हरनाथ सिंह पुत्र रिड़माल सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. राजवीर सिंह पुत्र रिड़मालसिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. लक्ष्मी कंवर पुत्री राजवीर सिंह जाति राजपुत निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 82 सन 2024 निर्णय दिनांक 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 508/420 की कुल 13.7450 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा भूमि का तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा भूमि का तथा वादी स0 4 व प्रतिवादी सं0 4 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर